पत्रांक /वैट धारा–57/08–09/आयु0क0 उत्तरा0/वाणि0कर/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
**(धारा–57 अनुभाग)**
दिनांक :: देहरादून 30 सितम्बर 2008

**सर्वश्री किसान सहकारी**
**चीनी मिल्स लि0 सितारगंज**
**उधमसिंह नगर।**

**आदेश मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत**

सर्वश्री किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 सितारगंज उधमसिंह नगर द्वारा पत्रांक 13/9 दिनांक 22–09–08 के द्वारा मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिया गया जो इस कार्यालय में दिनांक 25–09–08 में प्राप्त हुआ है। उक्त प्रार्थना–पत्र में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा मै0डी0एस0एम0 ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक 23–05–08 को दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रांत के भीतर बिक्री की गयी चीनी पर प्रवेश कर दिये जाने अथवा नहीं लिये जाने के सम्बन्ध में उचित निर्देश देने तथा यदि शासन स्तर से इस सन्दर्भ में कोई और निर्णय लिए गये हों तो तद्नुसार सूचित करने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मत है कि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के तहत ऐसे विवादग्रस्त प्रश्नों, जिसमें किसी न्यायालय के समक्ष अथवा धारा–25, धारा–26 या धारा–29 के अधीन कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से अन्यथा कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तब ऐसे प्रश्नों के विनिश्चय करने की अपेक्षा की गयी है। अतः सम्बन्धित फर्म द्वारा धारा–57 के तहत प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र की प्रकृति धारा–57 के तहत आच्छादित न होने के कारण ग्राह्य नहीं है। तद्नुसार प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का निक्षेप किया जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित फर्म को प्रेषित करें।

**(वी0के0 सक्सेना)**
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय देहरादून।

2296

**पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।**

**प्रतिलिपि**– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सर्वश्री किसान सहकारी, चीनी मिल्स लि0, सितारगंज, उधमसिंह नगर।

2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।

3– एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमाऊँ जोन रूद्रपुर।

4– एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/(प्रर्वतन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।

5– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार /काशीपुर /हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिऐशन के पदाधिकारियों/उद्योग/व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी।

7– ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर।

8– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

9– पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल जी0ओ0यू0 परियोजना कार्यालय, आई0आई0टी0 रूडकी ।

10– संख्या अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।

11– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्ड़िग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।

12– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस–15/5 राजनगर गाजियाबाद।

13– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।

14– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।

15– विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,<br>
मुख्यालय देहरादून।